न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील संख्या– अपील डिक्री/टीए/1586/2006/भरतपुर

1– कल्याण सिंह पुत्र हरवंश, जाति जाट, निवासी कांधौली, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर।

–अपीलांट

बनाम

1– ब्रदी पुत्र कलुआ, जाति कछवाया, निवासी भाटा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर।

2– राजस्थान सरकार।

–रेस्पोडेंटस

उपस्थितः–

1– श्री गौरव दवे, अधिवक्ता अपीलांट।

2– श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस।

(2) अपील संख्या– अपील डिक्री/टीए/1587/2006/भरतपुर

1– कल्याण सिंह पुत्र हरवंश, जाति जाट, निवासी कांधौली, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर।

–अपीलांट

बनाम

1– ब्रदी पुत्र कलुआ, जाति कछवाया, निवासी भाटा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर।

2– राजस्थान सरकार।

–रेस्पोडेंटस

उपस्थितः–

1– श्री गौरव दवे, अधिवक्ता अपीलांट।

2– श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस।

खण्डपीठ

श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

निर्णय

दिनांकः— 03.07.2024

अपीलांटस द्वारा यह दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 136/2002 उनवानी बद्री बनाम कल्याणसिंह व अन्य एवं अपील संख्या 137/2002 बउनवान कल्याणसिंह बनाम बद्री व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–02–2006 के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की हैं।

2— दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से तथा एक ही निर्णय के विरूद्ध पेश किये जाने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस समाहत की जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक संधारित की जावें ।

3— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी बद्री ने प्रतिवादी कल्याणसिंह के विरूद्ध वाद पत्र संख्या 72/82 तथा वादी कल्याणसिंह ने वाद संख्या 71/82/131/93 बउनवानी बद्री बनाम कल्याणसिंह अंतर्गत धारा 88, 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम कांधौली स्थित खसरा संख्या 276, 695 व 719 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वादी को आवंटित भूमि है तथा वादी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है व भू–राजस्व अदा करता आ रहा है। उक्त विवादित भूमि से प्रतिवादी का कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा। वादी ने विवादित भूमि प्रतिवादी को कभी काश्त के लिए पट्टे पर अथवा अन्य तरीके से नहीं दी एवं ना ही कानूनन वादी प्रतिवादी की विवादित भूमि काश्त के लिए दे सकता है। परंतु प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित भूमि में अपना नाम बतौर सिकमी दर्ज करा लिया जो कानूनी रूप से गलत है। प्रतिवादी ने विवादित भूमि को आज तक कभी काश्त नहीं किया है और ना ही

कोई लगान अदा किया है। विवादित भूमि पर कब्जा आवंटन के समय से ही वादी का रहा है परंतु प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में उसके नाम गलत रूप से की गई सिकमी की आड़ में विवादित भूमि को हड़पना चाहता है। अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार काबिज मौका घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी के नाम हो रहे सिकमी इन्द्राज को कलमजन किया जावें तथा प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें ।

इसी प्रकार अन्य वाद संख्या 66/83 (443/298) वादी कल्याणसिंह ने प्रतिवादी राजस्थान सरकार व बद्री के विरूद्ध विवादित आराजियात बाबत् पेश किया । विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को सम्मिलित कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2002 को दोनों वाद खारिज किये । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दोनों वादीगण ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में दो पृथक–पृथक अपीलें क्रमशः अपील संख्या 136/2002 बउनवानी बद्री बनाम कल्याणसिंह तथा अपील संख्या 137/2002 बउनवानी कल्याणसिंह बनाम बद्री व अन्य पेश की गई । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17.02.2006 को अपील संख्या 136/2002 बद्री बनाम कल्याण सिंह स्वीकार करने तथा अपील संख्या 137/2002 कल्याणसिंह बनाम बद्री खारिज करने के आदेश पारित किए । प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2006 से व्यथित होकर अपीलांट कल्याणसिंह ने यह दो पृथक–पृथक अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की है ।

4– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वास्तविकता से परे होकर मात्र कयासों पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है । वादी कल्याण सिंह अपने वाद में यह साबित कर दिया था कि उसका कब्जा काश्त संवत् 2012 के पहले से चला आ रहा है फिर भी वादी का वाद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा खारिज करने में तथा प्रतिवादी बद्री का वाद अपील अधिकारी ने डिक्री करने में भूल की है । परीक्षण न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि खसरा नंबर 276 कभी भी बद्री को अलोट नहीं हुआ है, आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से खसरा नंबर 273 अंकित है । खसरा नंबर 273 के आवंटन में बद्री ने आज तक कभी

भी संशोधन नहीं करवाया है फिर भी गलत एवं गैर कानूनी रूप से खसरा नंबर 273 सहवन से लिखना एवं वास्तविक रूप से खसरा नंबर 276 का आवंटन होना मानने में त्रुटि कारित की है । कौन से खसरा नंबर का आवंटन हुआ है और सहवन से गलत आवंटन हुआ है या नहीं यह आवंटन अधिकारी ही बता सकता है किन्तु आवंटन आदेश में आज तक कोई संशोधन नहीं करवाया गया है और ना ही उसकी अपील की गई और दावे में भी यह माना गया है कि बद्री को खसरा नंबर 276 का आवंटन नहीं हुआ है । अपीलीय न्यायालय ने दावे की अपील में आवंटन में खसरा संख्या 276 का नहीं होकर 273 होना मानने में भूल की है । रेस्पो0 बद्री को आवंटन खसरा नंबर 273 का हुआ था और आवंटन के आधार पर जो नामांतकरण पटवारी हल्का द्वारा खोला गया है वह बिना किसी आधार के खसरा नंबर 276 का खोला गया है । ऐसे विवेक एवं क्षेत्राधिकार विहिन नामांतकरण को आधार बनाकर बद्री का दावा डिक्री करने एवं अपीलांट का दावा खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट कल्याणसिंह ने स्पष्ट रूप से निवेदन किया था संवत् 2012 के पहले से ही आराजी खसरा नंबर 276 पर कल्याणसिंह का कब्जा था तो यह भूमि वक्त आवंटन दिनांक 12.06.1969 को आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं थी तो इसका आवंटन नहीं हो सकता है । सवंत् 2027 की खसरा गिरदावरी में खसरा संख्या 276 पर अपीलांट कल्याणसिंह की काश्त अंकित है फिर भी इसे रेस्पो0 बद्री को आवंटन के लिए उपलब्ध होना मानने में एवं आवंटन होना मानने में भारी भूल की है ।

6— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है । खसरा नंबर 276, 695, 789 का आवंटन दिनांक 12.06.1969 को रेस्पो0 बद्री को हुआ था जिस पर वह काबिज है। कल्याण का इसमें कोई हक नहीं है, इसने कर्मचारियों से मिलकर अपना नाम शिकमी दर्ज करा लिया है जो गैर कानूनी एवं गलत है। कल्याण का यह कहना कि बद्री को खसरा नंबर 276 आवंटित नहीं होकर खसरा नंबर 273 का आवंटन हुआ था । इस संबंध में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नंबर 273 का रकबा मटरे नामक व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज है जिससे यह स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 273 बद्री को आवंटित नहीं हो सकता है । दूसरी तरफ खसरा नंबर 276 का रकबा 0.13 एयर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होकर आवंटन योग्य था । इन्हीं

समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलीय न्यायालय ने वादी कल्याण का वाद खारिज तथा वादी/रेस्पो0 बद्री द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज की जावे।

7— हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

8— पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास, जिला भरतपर के न्यायालय में वादी बद्री ने प्रतिवादी कल्याण के विरूद्ध वाद संख्या 71/82 (131/93) बद्री बनाम कल्याणसिंह पेश कर कथन किया है कि ग्राम काधोंली स्थित खसरा नंबर 276, 695 व 719 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादी को आवंटित भूमि है तथा वादी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है । परन्तु प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित भूमि में अपना नाम बतौर शिकमी दर्ज करा लिया है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित भूमि का काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी के नाम हो रहे शिकमी इंद्राज को निरस्त किया जावे।

9— विचारण न्यायालय के समक्ष वादी कल्याणसिंह/वर्तमान अपीलांट ने वाद संख्या 66/83 (443) पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 276 वाके ग्राम काधोंली तह0 रूपवास की भूमि पर वादी कल्याणसिंह का संवत् 2012 से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त आराजी वादी की खातेदारी भूमि के मध्य में स्थित है तथा उसी में मिली हुई है । उक्त भूमि पर दिनांक 11.03.1975 को नायब तहसीलदार रूपवास द्वारा मौके की जांच की जाकर वादी को शिकमी काश्तकार दर्ज किया गया है । विवादित भूमि से प्रतिवादी बद्री का कोई संबंध नहीं है । अतः वाद स्वीकार वादी को खसरा नंबर 276 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विचारण न्यायालय ने उक्त वाद में जवाबदावा प्राप्त होने के उपरांत तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2002 को दोनो वाद खारिज किये । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दोनों वादी क्रमशः कल्याण सिंह व बद्री ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में दो पृथक–पृथक अपीलें पेश की जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2006 को निर्णय पारित कर

वादी बद्री द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 136/02 उनवानी बद्री बनाम कल्याणसिंह स्वीकार की तथा अपील संख्या 137/02 उनवानी कल्याणसिंह बनाम बद्री खारिज की तथा अपीलांट ब्रदी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर वादी बद्री को खसरा नंबर 276, 695, 789 कुल रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी कल्याणसिंह/वर्तमान अपीलांट ने यह दो पृथक–पृथक अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की है ।

10– अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में रेस्पो0 बद्री का तर्क है कि खसरा नंबर 276, 695, 789 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 12.06.1969 को वादी/रेस्पो0 बद्री को किया गया है । इसके विपरीत वर्तमान अपीलांट कल्याणसिंह का कथन है कि खसरा नंबर 276 रेस्पो0 बद्री को आवंटित नहीं होकर खसरा नंबर 273 आवंटित हुआ है । पक्षकारान के उक्त कथनों से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विवाद मुख्य रूप से खसरा नंबर 276 को लेकर है । इस संबंध में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नंबर 273 का रकबा मटरे नामक व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज है । जब खसरा नंबर 273 पूर्व से ही किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज है तो अपीलांट के कथनानुसार उक्त खसरा नंबर 273 रेस्पो0 बद्री को आवंटित नहीं हो सकता है तथा ना ही आवंटन किया गया था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 276 का रकबा 0.13 एयर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि बरवक्त आवंटन खसरा नंबर 276 आवंटन योग्य नहीं था, किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । नक्शे की स्थिति के अनुसार भी खसरा नंबर 276 आवंटन होना माना है । विवादित भूमि खसरा नंबर 276 रेस्पो0 बद्री को अन्य आराजियात के साथ आवंटित किये जाने के उपरांत उक्त कृषि भूमि बाबत् संवत् 2031 में अपीलांट कल्याण के नाम शिकमी किस आधार पर दर्ज किया गया है, किस खातेदार से किन शर्तो पर काश्त पर लिया इसे दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । अपीलीय न्यायालय का उक्त निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

11— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज की जाती है । न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2006 यथावत् रखे जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष